फर्द अहकाम

(नियम 16)

अदालत जज जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

ए यू स्मॉल फाइनेन्स बैंक

बनाम

भगवान डेयरी व अन्य

किस्म मुकदमा:—अन्तर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002

मु0 नम्बर 14 सन् 2024

GCMS No. 2024 / 65

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
14.10.24	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री मानसिंह मीणा प्राधिकृत अधिकारी ए यू स्मॉल बैंक शाखा जयपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता 1.श्री भगवान डेयरी पता– कृष्णा कोलोनी बाडी जिला धौलपुर 328021 2. महेश चन्द शर्मा निवासी रेलवे स्टेशन के पीछे कृष्णा कोलोनी बाडी जिला धौलपुर अन्य पता – रेलवे स्टेशन के पीछे कृष्णा कोलोनी कस्बा बाडी जिला धौलपुर 328021 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 16.03.2022 को रूपये 2500000 (पच्चीस लाख) ऋण सुविधा जरिये ऋण अनुबंध संख्या L9001060127547859 का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:– आवासीय सम्पत्ति स्थित कृष्णा कालोनी कस्बा बाडी रेलेवे स्टेशन के पीछे जिला धौलपुर 328021 क्षेत्रफल 175 वर्गगज प्लॉट न0 4 ख0न0 1708 जिसके पश्चिम दिशा में मकान सुरेश उत्तर में रास्ता आम 20 फुट दक्षिण में मकान प्रीति मंगल पूर्व में मकान कृष्ण गोपाल शर्मा ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 08.09.2023 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 12.09.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 2501236/– दिनांक 12.09.2023 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है। हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का	

शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पति आवासीय सम्पत्ति स्थित कृष्णा कालोनी कस्बा बाडी रेलेवे स्टेशन के पीछे जिला धौलपुर 328021 क्षेत्रफल 175 वर्गगज न0 4 ख0न0 1708 जिसके पश्चिम दिशा में मकान सुरेश उत्तर में रास्ता आम 20 फुट दक्षिण में मकान प्रीति मंगल पूर्व में मकान कृष्ण गोपाल शर्मा जिसका भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14/10/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,